जवाना राम बनाम कल्याण वगै0

नं0 :– 91/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। शेष अप्रार्थी सं0 4, 6, 9, 11 लगायत 47 की तामील समग्र रूप से रजि0 ए0डी0 के माध्यम से होने के बावजूद उपस्थित नही हुये है। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 4, 6, 9, 11 लगायत 47 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नही किया। अतः जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 11.09.2025 को पेश हों।	
11.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 313 रकबा 0.6828है0, वाके ग्राम सामरेड कलां, पटवार हल्का सामरेड कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि अप्रार्थीगणों के लगवा स्थित है। अतः अप्रार्थीगणों की भूमि की भी पत्थरगढी उक्त वादांकित भूमि के साथ किया जावें। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट, एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम सामरेड कलां, पटवार हल्का सामरेड कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 313 रकबा 0.6828है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।	

Scanned with OKEN Scanner